रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072022-237457
CG-DL-E-22072022-237457

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3203] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2022/आषाढ़ 31, 1944
No. 3203] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2022/ASHADHA 31, 1944

## विधि और न्याय मंत्रालय

### (विधायी विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2022

**का.आ. 3364(अ).**—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:--

### आदेश

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2022

भारत के राष्ट्रपति के समक्ष, श्री ओम शक्ति सेगर (जिसे इसमें इसके पश्चात् याची कहा गया है) ने तारीख 12.07.2017 को एक याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें याची ने पुड्डुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के निम्नलिखित 9 सदस्यों, अर्थात् श्री के. लक्ष्मीनारायणन, श्री आर.के.आर. अनन्तरामन, श्री आर. शिवा, श्रीमती ए.गीता, श्री टी. जयामूर्ति, श्री एम.एन.आर. बालन, श्री ई. थीप्पायंथन, श्रीमती वी.विजयावेणी और श्री एन. धनावेलू (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् प्रत्यर्थी कहा गया है), द्वारा 'लाभ के पद' धारण करने के आधार पर संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(1)(क) के अधीन निरर्हता की मांग की थी ।

और, उक्त याचिका, भारत निर्वाचन आयोग को संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(4) के अधीन प्रत्यर्थियों की अभिकथित निरर्हता पर आयोग की राय प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट की गई थी ।

और, याची ने यह कथन किया है कि पूर्वोक्त 9 प्रत्यर्थियों में से श्री के. लक्ष्मीनारायणन और श्री आर.के.आर. अनन्तरामन ने सरकार के अधीन ऐसे लाभ के पद धारण किए हुए थे, जो 'पुड्डुचेरी विधान सभा सदस्य (निरर्हता

निवारण) अधिनियम, 1994' के अधीन निरर्हता से छूट प्राप्त नहीं थे और इसलिए, संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(1)(क) के अधीन निरर्हित होने के लिए दायी थे ।

और, याची ने आगे यह कथन किया है कि शेष 7 प्रत्यर्थी विधान सभा सदस्यों ने सरकार के अधीन ऐसे लाभ के पद धारण किए हुए थे, जो 'पुड्डुचेरी विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1994' के अधीन छूट प्राप्त पदों की अनुसूची में सम्मिलित किए गए थे, किंतु निरर्हता से किसी छूट का दावा करने के लिए, यह अपेक्षित था कि वे उक्त अनुसूची के अधीन उल्लिखित परंतुक के अधीन यथा आज्ञापित प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न, पारिश्रमिक की किसी फीस को प्राप्त नहीं कर रहे थे या उसके हकदार नहीं थे । याची ने यह अभिकथन किया है कि ये प्रत्यर्थी निजी कर्मचारिवृंद और साथ ही कर्मचारिवृंद चालित कार के लिए उपबंधों के अतिरिक्त, मानदेय प्राप्त कर रहे थे और इसलिए, वे निरर्हता के लिए दायी बने ।

और, जब भारत निर्वाचन आयोग उक्त याचिका के मुद्दे की समीक्षा कर रहा था, श्री आर.के.आर. अनन्तरामन, विधान सभा सदस्य, ने माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष *आर.के.आर.* अनन्तरामन *बनाम भारत के राष्ट्रपति के सचिव और अन्य* [रिट याचिका सं0 26967/2018] नामक रिट याचिका फाइल की थी । तत्पश्चात्, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने रिट याचिका सं0 26967/2018 के मामले में तारीख 23.11.2021 को अपना निर्णय दिया था, जिसके द्वारा पूर्वोक्त मामला निम्नलिखित संप्रेक्षण के साथ निपटाया गया था :--

"2. याची की ओर से उपस्थित हुए विद्वान काउंसेल ने यह निवेदन किया कि समय के व्यतीत होने के कारण, उक्त पद को धारण करने का कार्यकाल ही समाप्त हो गया था, और इसलिए, इस याचिका में की गई याचना निष्फल हो गई है ।"

"3. दूसरी ओर, द्वितीय प्रत्यर्थी/भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उपस्थित हुए विद्वान काउंसेल ने यह निवेदन किया कि भारत निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप याची की पुड्डुचेरी विधान सभा के सदस्य के रूप में निरर्हता है, और उक्त नोटिस इस रिट याचिका में चुनौती के अधीन है, और यदि इस याचिका को बंद कर दिया जाता है, तो, भारत निर्वाचन आयोग, आक्षेपित नोटिस के अनुसरण में अगली कार्यवाहियों के साथ अग्रसर होगा । अत:, आयोग यह निवेदन करता है कि याची यह विनिश्चय करने के लिए स्वतंत्र है कि क्या वह इस रिट याचिका को वापस लेने के लिए इच्छुक है या नहीं ।"

"4. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि इस रिट याचिका में चुनौती दिए गए नोटिस के अनुसरण में यह याची के विरुद्ध आरंभ की गई अगली कार्यवाहियों को, यदि कोई हो, चुनौती देने के लिए याची को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए इस रिट याचिका को बंद करना ही पर्याप्त होगा ।"

और, पूर्वोक्त रिट याचिका माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी, भारत के निर्वाचन आयोग ने 06.04.2021 को होने वाले मतदान की तारीख के साथ तारीख 26.02.2021 के, प्रेस नोट सं.ईसीआई/पीएन/16/2021 द्वारा, पुड्डुचेरी विधान सभा के साधारण निर्वाचन की घोषणा की थी । पूर्वोक्त निर्वाचन के परिणाम 02.05.2021 को घोषित किए गए थे और पुड्डुचेरी के माननीय उपराज्यपाल द्वारा राजपत्र अधिसूचना सं.XIVएलएएस/विघटन/2021, तारीख 03.05.2021 द्वारा पूर्व विधान सभा विघटित कर दी गई थी ।

और, भारत निर्वाचन आयोग ने, संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(4) के अधीन तारीख 04.09.2017 के पूर्वोक्त निर्देश को, इस आशय की अपनी राय के साथ कि निर्देश निष्फल हो गया है, तारीख 02.02.2022 को वापस लौटा दिया था ।

अत:, अब, मैं, राम नाथ कोविंद, भारत का राष्ट्रपति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई राय के आलोक में मामले पर विचार करने के पश्चात्, संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(4) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अभिनिर्धारित करता हूँ कि विधानसभा के विघटन को ध्यान में रखते हुए, याचिका निष्फल हो गई है ।

20 जुलाई, 2022 भारत का राष्ट्रपति

**राष्ट्रपति के आदेश से संबंधित उपाबंध**

**भारत निर्वाचन आयोग**

निर्वाचन सदन

अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

**2017 का निर्देश मामला सं. 9(पी)**

**[संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14 के अधीन भारत के माननीय राष्ट्रपति से निर्देश]**

निर्देश : 2017 का निर्देश मामला सं. 9(पी) - संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(4) के अधीन भारत के माननीय राष्ट्रपति से निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा14(1)(क) के अधीन पुड्डुचेरी विधान सभा के 9 सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर भारत निर्वाचन आयोग की राय की मांग की गई है।

**राय**

1. यह संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(4) के अधीन भारत के माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश तारीख 04.09.2017 है, जिसमें इस प्रश्न पर भारत निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या पुड्डुचेरी विधान सभा के निम्नलिखित 9 सदस्य संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(1)(क) के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं:-

| **क्र.सं.** | **नाम** | **निर्वाचन क्षेत्र** | **धारित पद** |
|---|---|---|---|
| 1. | के. लक्ष्मीनारायणन | 14-राजभवन | मुख्य मंत्री का संसदीय सचिव |
| 2. | आर.के.आर. अनन्तरमण | 20-मनावेली | सरकारी सचेतक |
| 3. | आर. शिवा | 16-आरलेयानपथ | अध्यक्ष, पुड्डुचेरी औद्योगिक संवर्द्धन विकास और निवेश निगम |
| 4. | ए. गीथा | 28-निराव्य टी. आर.पट्टीनाम | अध्यक्ष, विद्युत निगम |
| 5. | टी. जयामूर्ति | 19-अरयंकुप्पम | अध्यक्ष, पुड्डुचेरी योजना प्राधिकरण |
| 6. | एम.एन.आर. बालान | 06-ओझुकराय | अध्यक्ष, पुड्डुचेरी पर्यटन विकास निगम |
| 7. | ई. थीपंजम | 03-औस्सुडू | अध्यक्ष, गन्दी बस्ती उन्मूलन बोर्ड |
| 8. | एन. विजयावेणी | 22-नीतिपक्कम | अध्यक्ष, पुड्डुचेरी डिस्ट्रीलरीज लिमिटेड |
| 9. | एन. धनावेलू | 23-बाहौर | अध्यक्ष, पुड्डुचेरी कृषि उत्पाद और नागरिक आपूर्ति निगम |

2. उक्त निर्देश में, निरर्हता का प्रश्न भारत के माननीय राष्ट्रपति के समक्ष, श्री ओम शक्ति सेगर (जिसे इसमें इसके पश्चात् **"याची"** कहा गया है) द्वारा प्रस्तुत याचिका तारीख 12.07.2017 से उद्भूत हुआ है, जिसमें याची ने 'लाभ का पद' धारण करने के आधारों पर, संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(1)(क) के अधीन पूर्वोक्त पुड्डुचेरी विधानसभा सदस्य (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् **"प्रत्यर्थी"** कहा गया है) की निरर्हता की मांग की है ।

**तथ्य :**

3. याची ने यह कथन किया है कि पूर्वोक्त 9 प्रत्यर्थियों में से श्री के. लक्ष्मीनारायणन और श्री आर.के.आर. अनन्तरमण ने सरकार के अधीन ऐसे लाभ के पद धारण किए हुए थे, जो 'पुड्डुचेरी विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1994' के अधीन निरर्हता से छूट प्राप्त नहीं थे और इसलिए, संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(1)(क) के अधीन निरर्हित होने के लिए दायी थे । याची ने आगे यह कथन किया है कि शेष 7 प्रत्यर्थी विधान सभा सदस्यों ने सरकार के अधीन ऐसे लाभ के पद धारण किए हुए थे, जो 'पुड्डुचेरी विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1994' के अधीन छूट प्राप्त पदों की अनुसूची में सम्मिलित किए गए थे, किंतु निरर्हता से किसी छूट का दावा करने के लिए यह अपेक्षित था कि वे उक्त अनुसूची के अधीन उल्लिखित परंतुक के अधीन यथा आज्ञापित प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न, पारिश्रमिक की किसी फीस को प्राप्त नहीं कर रहे थे या उसके लिए हकदार नहीं थे । याची ने यह अभिकथन किया

है कि ये प्रत्यर्थी, निजी कर्मचारिवृंद और साथ ही कर्मचारिवृंद चालित कार के लिए उपबंधों के अतिरिक्त मानदेय प्राप्त कर रहे थे और इसलिए, वे निरर्हता के लिए दायी बने ।

4. आयोग ने, तारीख 13.12.2017 को मुख्य सचिव, पुड्डुचेरी सरकार को पूर्वोक्त याचिका की एक प्रति संलग्न करते हुए एक पत्र जारी किया और उक्त प्राधिकारी से यह अनुरोध किया कि वह प्रत्यर्थियों द्वारा धारित पदों के बारे में कतिपय वास्तविक सूचना उपलब्ध कराए ।

5. आयोग के पत्र तारीख 13.12.2017 के अनुपालन में, आयोग को, पुड्डुचेरी सरकार के अवर सचिव श्री एम. कानन से एक पत्र तारीख 23.02.2018 प्राप्त हुआ । राज्य सरकार ने इस पत्र के द्वारा आयोग को सूचित किया कि संसदीय सचिव का पद और स्वायत्त निकायों/निगमों के अध्यक्ष/सभापति आदि के पदों को, क्रमश: संसदीय सचिव (विशेष भत्ते का संदाय और निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 तथा पुड्डुचेरी विधान सभा सदस्य (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1994 के अनुसार निरर्हता से छूट प्रदान की गई है । इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख किया गया था कि अध्यक्ष, गन्दी बस्ती उन्मूलन बोर्ड के पद को, गन्दी बस्ती (सुधार और उन्मूलन) (पुड्डुचेरी संशोधन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अधीन निरर्हता से छूट प्राप्त थी । इसके अतिरिक्त, यह कथन किया गया था कि श्री आर.के.आर. अनन्तरमण द्वारा धारित, सरकारी सचेतक पद को किसी कानूनी उपबंध के अधीन निरर्हता से छूट प्राप्त नहीं थी ।

6. चूंकि वह पद, जो निरर्हता से छूट प्राप्त नहीं था, सरकारी सचेतक का ही पद था, आयोग ने उक्त पद के बारे में सुसंगत जानकारी जैसे इस पद पर नियुक्ति के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी, नियुक्ति आदेश की प्रति और इससे संबद्ध फायदों के ब्यौरे एकत्रित करने के लिए मुख्य सचिव, पुड्डुचेरी सरकार को एक अन्य पत्र तारीख 21.03.2018 जारी किया था, जिससे वह अपनी राय तैयार कर सके ।

7. आयोग के पत्र तारीख 21.03.2018 के अनुपालन में, पुड्डुचेरी सरकार ने पत्र तारीख 27.06.2018 द्वारा अपना उत्तर दिया था, जिसमें यह कथन किया गया था कि माननीय उपराज्यपाल, पुड्डुचेरी ने आंतरिक विभागीय टिप्पण सं0 एच.12035/1/2016/ डीपीएआर/ सीसीडी(1) तारीख 22.05.2018 द्वारा यह आदेश दिया था कि श्री आर. शिवा, श्री एम.एन.आर. बालान, श्रीमती ए. गीथा, श्री वी. विजयावेणी और श्री एन. धनावेलू की उनके अपने-अपने निगमों (जैसा पैरा 1 के अधीन सारणी में उल्लिखित है) के अध्यक्ष/सभापति के रूप में नियुक्ति का पुनर्रीक्षण किया गया था और उन्हें इससे आगे उक्त निगमों के गैर-सरकारी अध्यक्ष/सभापति के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्हें संबंधित निगम के संगम अनुच्छेदों/संगम ज्ञापन/ अधिनियमों के अनुसार कार्य करना था । तथापि, सरकारी सचेतक के पद के बारे में आयोग द्वारा मांगे गए ब्यौरे उक्त उत्तर के साथ उपलब्ध नहीं कराए गए थे ।

8. आयोग ने, पत्र तारीख 27.06.2018 द्वारा श्री आर.के.आर. अनन्तरमण से, उसकी निरर्हता के लिए याचिका में की गई याचना के संबंध में लिखित उत्तर/निवेदन की भी मांग की थी ।

9. आयोग के पत्र तारीख 27.06.2018 के उत्तर में श्री आर.के.आर. अनन्तरमण ने, पत्र तारीख 12.07.2018 द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत किया था, जिसमें यह निवेदन किया गया था कि सरकारी सचेतक की नियुक्ति को कोई कानूनी समर्थन प्राप्त नहीं था और किसी विशेषाधिकार तथा विशेष भत्ते के अभाव में सरकारी सचेतक को लाभ के पद के आधारों पर निरर्हता लागू नहीं होती है । आगे यह और निवेदन किया गया था कि वह पुड्डुचेरी विधान सभा का सदस्य होने के लिए ही वेतन और भत्ते प्राप्त कर रहा था और वह सरकारी सचेतक का पद धारण करने के लिए कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा था । इसके अतिरिक्त, यह निवेदन किया गया था कि 'सचेतक' का पद एक मिथ्या नाम है और यह कि ऐसा कोई पद या तो विधि द्वारा या पुड्डुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में अधिसूचना द्वारा सृजित नहीं किया गया है । इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, श्री आर.के.आर. अनन्तरमण ने यह याचना की थी कि निर्देश को संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 और पुड्डुचेरी विधान सभा कार्य नियम के अधीन यथा अनुध्यात विहित विधिक अपेक्षाओं सहित पुन: प्रस्तुतीकरण के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय को वापस लौटाया जाए ।

10. आयोग ने, पूर्वोक्त उत्तर से असंतुष्ट होकर, श्री आर.के.आर. अनन्तरमण को एक नोटिस तारीख 04.09.2018 जारी किया था, जिसमें उसे 20.09.2018 को या उससे पहले लिखित कथन फाइल करने के लिए और 27.09.2018 को या तो स्वयं या विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निदेश दिया गया था । तारीख 20.09.2018 को, श्री आर.के.आर. अनन्तरमण से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें नियत सुनवाई, जो 27.09.2018 को होनी थी, को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था । आयोग ने, ऊपर उल्लिखित अनुरोध को स्वीकार किया और सुनवाई को तारीख 12.10.2018 तक के लिए स्थगित किया ।

11. तारीख 11.10.2018 को, श्री आर.के.आर. अनन्तरमण के विधिक प्रतिनिधियों से आयोग को यह सूचित करते हुए पत्र प्राप्त हुआ था कि उक्त विधान सभा सदस्य ने, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष ***आर.के.आर. अनन्तरमण बनाम भारत के राष्ट्रपति के सचिव और अन्य*** [रिट याचिका सं0 26967/2018] नामक रिट याचिका फाइल की है, जिसमें आयोग को प्रत्यर्थी सं0 2 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था । आगे यह और कथन किया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश तारीख 11.10.2018 द्वारा आयोग को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा किए गए निर्देश तारीख 04.09.2017 के अधीन सभी कार्यवाहियों के प्रवर्तन और साथ ही आयोग के नोटिस तारीख 04.09.2018 पर रोक मंजूर की थी । उक्त आदेश का सुसंगत भाग निर्देश के मामले में संबंध में नीचे पुन:प्रस्तुत किया गया है :--

> "2. याची की ओर से विद्यमान वरिष्ठ काउंसेल के अनुसार, प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा उसके पत्र तारीख 04.09.2017 के बावजूद भी, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग से संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(3) और धारा 14(4) के अधीन राय की मांग की गई थी, जिसे बाद में संसूचना तारीख 27.06.2018 द्वारा प्रतिनिर्देश तारीख 13.07.2018 के अनुसरण में उत्तर के प्रस्तुत किए जाने के लिए निदेशित किया गया था, अब 2017 का प्रतिनिर्देश मामला सं0 9(पी) के अधीन आक्षेपित नोटिस तारीख 04.09.2018 द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा इस प्रकार जारी किया गया है, मानो भारत के राष्ट्रपति ने विवादास्पद विषय-वस्तु से संबंद्ध मुद्दे पर विचार कर लिया हो । तृतीय प्रत्यर्थी, जो एक बाह्य व्यक्ति/भूतपूर्व विधान सभा सदस्य है, द्वारा फाइल की गई याचिका के आधार पर, ऐसी किसी कार्रवाई का उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन समर्थन नहीं किया जा सकता है । अत:, वह इस न्यायालय के समक्ष अंतरिम व्यादेश के लिए याचना करता है ।"
>
> "3. ऐसी परिस्थितियों में, प्रथम प्रत्यर्थी के आक्षेपित नोटिस तारीख 04.09.2017 के और साथ ही द्वितीय प्रत्यर्थी के आदेश तारीख 04.09.2018 को तीन सप्ताह की अवधि के लिए प्रास्थगित रखा जाएगा ।"

12. तत्पश्चात्, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने आदेश तारीख 01.11.2018 के द्वारा प्रत्यर्थियों को अपना प्रति शपथपत्र फाइल करने का निदेश दिया था और ऊपर उल्लिखित अंतरिम निदेश को अगले आदेश होने तक विस्तारित कर दिया था । इस तारीख से ही, मामला लंबित बना हुआ है और 2017 का निर्देश मामला सं0 9(पी) के अधीन कार्यवाहियों पर रोक जारी है ।

13. इसके पश्चात्, आयोग को, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 15.12.2021 को दिए गए निर्णय तारीख 23.11.2021 की प्रति प्राप्त हुई थी, जिसके द्वारा पूर्वोक्त मामला निम्नलिखित संप्रेक्षण के साथ निपटाया गया था :--

> "2. याची की ओर से उपस्थित हुए विद्वान काउंसेल ने यह निवेदन किया कि समय के व्यतीत होने के कारण, उक्त पद को धारण करने का कार्यकाल ही समाप्त हो गया था, और इसलिए, इस याचिका में की गई याचना निष्फल हो गई है ।"
>
> "3. दूसरी ओर, द्वितीय प्रत्यर्थी/भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उपस्थित हुए विद्वान काउंसेल ने यह निवेदन किया कि भारत निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप याची की पुड्डुचेरी विधान सभा के सदस्य के रूप में निरर्हता है, और उक्त नोटिस इस रिट याचिका में चुनौती के अधीन है, और यदि इस याचिका को बंद कर दिया जाता है, तो, भारत निर्वाचन आयोग, आक्षेपित नोटिस के अनुसरण में अगली कार्यवाहियों के साथ अग्रसर होगा । अत:, आयोग यह निवेदन करता है कि याची यह विनिश्चय करने के लिए स्वतंत्र है कि क्या वह इस रिट याचिका को वापस लेने के लिए इच्छुक है या नहीं ।"
>
> "4. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि इस रिट याचिका में चुनौती दिए गए नोटिस के अनुसरण में यह याची के विरुद्ध आरंभ की गई अगली कार्यवाहियों को, यदि कोई हो, चुनौती देने के लिए याची को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए इस रिट याचिका को बंद करना ही पर्याप्त होगा ।"

**विश्लेषण:**

14. यह संप्रेक्षण करना संगत होगा कि जब ऊपर उल्लिखित रिट याचिका माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी, तब आयोग ने 06.04.2021 को होने वाले मतदान की तारीख वाले प्रेस नोट सं.ईसीआई/पीएन/16/2021 तारीख 26.02.2021 द्वारा पुड्डुचेरी विधान सभा के साधारण निर्वाचन की घोषणा की थी । पूर्वोक्त निर्वाचनों के परिणाम 02.05.2021 को घोषित किए गए थे और पूर्व विधान सभा, जिसके सदस्य प्रत्यर्थी विधान सभा सदस्य थे, पुड्डुचेरी के माननीय उपराज्यपाल द्वारा राजपत्र अधिसूचना सं. XIV एलएएस/विघटन/2021 तारीख 03.05.2021 द्वारा विघटित कर दी गई थी ।

**निष्कर्ष:**

15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निर्देश तारीख 04.09.2017 को संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 14(4) के अधीन आयोग के इस आशय की राय के साथ भारत के माननीय राष्ट्रपति को वापस लौटाया जाता है कि निर्देश निष्फल हो गया है।

| | | |
|---|---|---|
| **राजीव कुमार** | **सुशील चंद्रा** | **अनूप चंद्रा पांडे** |
| **(निर्वाचन आयुक्त)** | **(मुख्य निर्वाचन आयुक्त)** | **(निर्वाचन आयुक्त)** |

स्थान : **नई दिल्ली**

तारीख : 02.02.2022

[फा. सं. एच-11026/01/2022-वि.2]

दिवाकर सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

**(Legislative Department)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd July, 2022

**S.O. 3364(E).**—The following Order made by the President is published for general information:-

**ORDER**

New Delhi, the 20th July, 2022

Whereas, a petition was made by Sh. Om Sakthi Segar (hereinafter, "Petitioner") on 12.07.2017 before the President of India, wherein the petitioner sought disqualification of the following 9 Members of the Legislative Assembly of Union territory of Puducherry, namely, Shri K. Lakshminarayanan, Shri. R.K.R. Anantharaman, Shri R. Siva, Smt. A. Geetha, Shri T. Djeamourthy, Shri M.N.R. Balan, Shri E. Theeppainthan, Smt. V. Vizeaveny and Shri N. Danavelou (hereinafter, "Respondents") under Section 14(1)(a) of the Government of Union Territories Act, 1963 on the ground of holding 'Offices of Profit'.

And whereas, the said Petition was referred to the Election Commission of India on 04.09.2017 seeking its opinion under section 14(4) of the Government of Union Territories Act, 1963 on the alleged disqualification of the Respondents.

And whereas, the Petitioner has stated that among the aforesaid 9 Respondents, Shri K. Lakshminarayanan and Shri R.K.R. Anantaraman held offices of profit under the Government which were not exempted from disqualification under the 'Puducherry Members of the Legislative Assembly (Prevention of Disqualification) Act, 1994' and were therefore liable to be disqualified under section 14(1)(a) of the Government of Union Territories Act, 1963.

And whereas, the Petitioner has further stated that rest of the 7 Respondent MLAs held offices of profit under the Government which were included in the schedule of exempted offices under the Puducherry Members of the Legislative Assembly (Prevention of Disqualification) Act, 1994, but to claim any exemption from disqualification, it was required that they were not in receipt of, or entitled to, any fee of remuneration, other than compensatory allowance as mandated under the proviso mentioned under the said schedule. The Petitioner alleged that these Respondents were in receipt of honorariums in addition to provisions for personal staffs as well as staff driven car and therefore, became liable for disqualification.

And whereas, while the Election Commission of India was examining the issue of the said petition, Shri R.K.R. Anantharaman, MLA had filed a Writ Petition titled *R.K.R. Anantharaman vs. The Secretary to the President of India & Ors.* [WP No. 26967/2018] before the Hon'ble Madras High Court. Subsequently, the Hon'ble Madras High Court delivered the judgment on 23.11.2021 by which the aforesaid matter was disposed of with the following observation:-

"2. *The learned counsel appearing for the petitioner submits that, due to efflux of time, the tenure to hold the said post itself was over, and therefore, the prayer sought for in this Writ Petition has become infructuous."*

*"3. On the other hand the learned counsel appearing for the second respondent/Election Commission of India submits that, the Election Commission of India has issued notice, thereby disqualifying the petitioner as Member of the Legislative Assembly of Puducherry, and the said notice is under challenge in this Writ Petition, and if this Writ Pettion is closed, then, the Election Commission of India would proceed with the further proceedings, pursuant to the impugned notice. Therefore, he submits that, it is left open to the petitioner to decide whether he is inclined to withdraw this Writ Petition or not."*

*"4. In view of the above, this Court is of the view that, it would be suffice to close this Writ Petition granting liberty to the petitioner to challenge the further proceedings, if any, initiated against the petitioner, pursuant to the notice challenged in this writ petition."*

And whereas, while the aforesaid writ petition was pending before the Hon'ble Madras High Court, the Election Commission of India announced General Elections to the Puducherry Legislative Assembly *vide* Press Note No. ECI/PN/16/2021, dated 26.02.2021 with the date of poll being 06.04.2021. The results for the aforesaid election were announced on 02.05.2021 and the previous Legislative Assembly was dissolved by the Hon'ble Lt. Governor of Puduchery *vide* Gazette Notification No. XIV LAS/Dissolution/2021 dated 03.05.2021.

And whereas, the Election Commission of India returned the aforesaid reference dated 04.09.2017 with their opinion on 02.02.2022, under section 14(4) of the Government of Union Territories Act, 1963, to the effect that the same has become infructuous.

Now, therefore, having considered the matter in the light of the opinion rendered by the Election Commission of India, I, Ram Nath Kovind, President of India, in exercise of the powers conferred on me under section 14(4) of the Government of Union Territories Act, 1963, do hereby hold that in view of the dissolution of the Legislative Assembly, the Petition has become infructuous.

20th July, 2022 President of India

**ANNEXURE TO THE ORDER OF THE PRESIDENT**

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

NIRVACHAN SADAN

ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

**REFERENCE CASE NO. 9(P) OF 2017**

**[REFERENCE FROM THE HON'BLE PRESIDENT OF INDIA UNDER SECTION 14 OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963]**

*In re: Reference Case No. 9(P) of 2017- Reference received from the Hon'ble President of India under Section 14(4) of the Government of Union Territories Act, 1963 seeking opinion of the Election Commission of India on the question of alleged disqualification of 9 Members of Puducherry Legislative Assembly under Section 14(1)(a) of the Government of Union Territories Act, 1963.*

**OPINION**

1. This is a reference dated 04.09.2017 received from the Hon'ble President of India seeking opinion of the Election Commission of India under Section 14(4) of the Government of Union Territories Act, 1963, on the question whether the following 9 Members of the Puducherry Legislative Assembly have become subject to disqualification under Section 14(1)(a) of the Government of Union Territories Act, 1963: -

| Sl. No. | Name | Constituency | Office Held |
|---|---|---|---|
| 1. | K. Lakshminarayanan | 14- Rajbhavan | Parliamentary Secretary to Chief Minister |
| 2. | R.K.R. Anantaraman | 20- Manavely | Government Whip |
| 3. | R. Siva | 16- Orleanpath | Chairman, Puducherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation |
| 4. | A. Geetha | 28- Neravy T.R. Pattinam | Chairman, Power Corporation |
| 5. | T. Jayamoorthy | 19- Ariyankuppam | Chairman, Puducherry Planning Authority |
| 6. | M.N.R. Balan | 06- Ozhukarai | Chairman, Puducherry Tourism Development Corporation |
| 7. | E. Theepanjam | 03- Oussoudu | Chairman, Slum Clearance Board |
| 8. | N. Vijayaveny | 22- Nettapakkam | Chairman, Puducherry Distilleries Limited |
| 9. | N. Dhanavelu | 23- Bahour | Chairman, Puducherry Agriculture Products and Civil Supplies Corporation |

2. In the said reference, the question of disqualification arose out of a petition dated 12.07.2017 submitted by Sh. Om Sakthi Segar (hereinafter, **"Petitioner"**), before the Hon'ble President of India wherein the Petitioner sought disqualification of the aforesaid Members of Puducherry Legislative Assembly (hereinafter, **"Respondents"**), under Section 14(1)(a) of the Government of Union Territories Act, 1963 on grounds of holding 'Offices of Profit'.

**FACTS:**

3. The Petitioner has stated that among the aforesaid 9 Respondents, K. Lakshminarayanan and R.K.R. Anantharaman held offices of profit under the Government which were not exempted from disqualification under the '*Puducherry Members of the Legislative Assembly (Prevention of Disqualification) Act, 1994*' and were therefore liable to be disqualified under Section 14(1)(a) of the Government of Union Territory Act, 1963. The Petitioner further stated that the rest of the 7 Respondent MLAs held offices of profit under the Government which were included in the schedule of exempted offices under the Puducherry Members of the Legislative Assembly (Prevention of Disqualification) Act, 1994, but to claim any exemption from disqualification, it was required that they were not in receipt of, or entitled to, any fee of remuneration, other than compensatory allowance as mandated under the proviso mentioned under the said schedule. The Petitioner alleged that these Respondents were in receipt of honorariums in addition to provisions for personal staffs as well as staff driven car and therefore, became liable for disqualification.

4. On 13.12.2017, the Commission issued a letter to the Chief Secretary, Government of Puducherry enclosed with a copy of the aforesaid petition and requested the said authority to provide certain factual information regarding the offices held by the Respondents.

5. The Commission received a letter dated 23.02.2018 from Sh. M. Kannan, Under Secretary to the Government of Puducherry in compliance of the Commission's letter dated 13.12.2017. The State Government *vide* this letter informed the Commission that the post of Parliamentary Secretary and that of Chairman/ Chairperson of Autonomous Bodies/ Corporations, etc have been exempted from disqualification as per the Parliamentary Secretary (Payment of Special Allowance and Prevention of Disqualification) Act, 1971 and Puducherry Members of the Legislative Assembly (Prevention of Disqualification) Act, 1994 respectively. Moreover, it was mentioned that the post of Chairman, Slum Clearance Board was exempted from disqualification under the provisions of Slum Areas (Improvement and Clearance) (Puducherry Amendment) Act 1986. Furthermore, it was stated that the post of Government Whip, held by Sh. R.K.R. Anantharaman, was not exempted from disqualification under any statutory provision.

6. As the only position not exempted from disqualification was that of the Government Whip, the Commission issued another letter dated 21.03.2018 to the Chief Secretary, Government of Puducherry in order to gather relevant information about the said position, such as the authority responsible for appointment to this position, copy of appointment order and details of benefits attached with the same, in order to formulate its opinion.

7. The Government of Puducherry *vide* letter dated 27.06.2018 furnished its reply in compliance to the Commission's letter dated 21.03.2018 wherein it was stated that the Hon'ble Lt. Governor of Puducherry *vide* I.D. Note No. H.12035/1/2016/DPAR/CCD(1) dated 22.05.2018 had ordered that the appointment of Sh. R. Siva, Sh. M.N.R. Balan, Smt. A. Geetha, Sh. V. Vizeaveny and Sh. N. Danavelou as Chairmen/ Chairpersons of their respective corporations (as mentioned in table under Paragraph 1) had been revised and that they were henceforth appointed as non-official Chairmen/ Chairpersons of the said corporations, who were to function in accordance with the Articles of Associations/ Memorandum of Association / Acts of the respective corporation. However, the detail sought by the Commission regarding the position of Government Whip was not provided with the said reply.

8. The Commission *vide* letter dated 27.06.2018 also sought a written response/ submission from Sh. R.K.R. Anantharaman with regard to the prayer for his disqualification as made in the petition.

9. In response to Commission's letter dated 27.06.2018, Sh. R.K.R. Anantharaman furnished his reply *vide* letter dated 12.07.2018 wherein it was submitted that the appointment of Government Whip had no statutory backing and in the absence of any privilege and special allowance, the Government Whip does not attract disqualification on grounds of office of profit. It was further submitted that he was drawing salary and allowances only for being a Member of Legislative Assembly of Puducherry and that he was not in receipt of any remuneration for holding the position of Government Whip. Moreover, it was submitted that the post of 'whip' is a misnomer and that no such post is created either by law or notification in the Union Territory of Puducherry. In view of these facts, Sh. R.K.R. Anantharaman prayed that the reference may be returned to the Hon'ble President of India for resubmission with prescribed legal requirements as contemplated under the Government of Union Territory Act, 1963 and Rules of Business of Puducherry Legislative Assembly.

10. The Commission, not satisfied with the aforesaid response, issued a notice dated 04.09.2018 to Sh. R.K.R. Anantharaman wherein he was directed to file a written statement on or before 20.09.2018 and appear before the Commission, either in person or through a legal representative, on 27.09.2018. On 20.09.2018, a letter was received from Sh. R.K.R. Anantharaman requesting to postpone the scheduled hearing which was to be held on 27.09.2018. The Commission accepted the above-mentioned request and postponed the hearing to 12.10.2018.

11. On 11.10.2018, a letter was received from the legal representatives of Sh. R.K.R. Anantharaman informing the Commission that the said MLA had filed a Writ Petition titled ***R.K.R. Anantharaman vs. The Secretary to the President of India & Ors.*** [WP No. 26967/2018] before the Hon'ble Madras High Court wherein the Commission was arrayed as Respondent No. 2. It was further stated that the Hon'ble Court *vide* order dated 11.10.2018 had granted a stay on the operation of all proceedings under reference dated 04.09.2017 made by the Hon'ble President of India to the Commission as well as Commission's notice dated 04.09.2018. The relevant part of the said order is reproduced here below for ease of reference: -

> *"2. According to the learned senior counsel for the petitioner, despite the letter dated 04.09.2017 by the first respondent, seeking an opinion under Section 14(3) & (4) of the Government of Union Territories Act, 1963, from the Election Commission of India, which in turn by communication dated 27.06.2018, directed for submission of response pursuant to the reference dated 13.07.2018, now, the impugned notice dated 04.09.2018, under Reference Case No. 9(P) of 2017, came to be issued by the second respondent as if the President of India has considered the issue related to the subject matter in dispute. Such an action on the basis of petition filed by the third respondent who is an outsider/ former MLA, cannot be countenanced under the provisions of the said Act. Therefore, he prays for an interim injunction before this Court."*
>
> *"3. Under such circumstances, the impugned notice dated 04.09.2017, of the first respondent as well as the order of the second respondent dated 04.09.2018, shall be kept in abeyance for a period of three weeks."*

12. Thereafter, the Hon'ble Madras High Court *vide* order dated 01.11.2018 directed the Respondents to file their counter affidavit and extended the above-mentioned interim direction until further orders. Since this date, the matter remained pending and the stay on the proceedings under Reference Case No. 9(P) of 2017 continued.

13. Subsequently, the Commission received a copy of the judgment dated 23.11.2021 delivered by the Hon'ble Madras High Court on 15.12.2021 by which the aforesaid matter was disposed of with the following observations: -

> *"2. The learned counsel appearing for the petitioner submits that, due to efflux of time, the tenure to hold the said post itself was over, and therefore, the prayer sought for in this Writ Petition has become infructuous."*
>
> *"3. On the other hand, the learned counsel appearing for the second respondent/ Election Commission of India submits that, the Election Commission of India has issued notice, thereby, disqualifying the petitioner as Member of the Legislative Assembly of Puducherry, and the said notice is under challenge in this Writ Petition, and if this Writ Petition is closed, then, the Election Commission of India would proceed with the further proceedings pursuant to the impugned notice. Therefore, he submits that, it is left open to the petitioner to decide whether he is inclined to withdraw this Writ Petition or not."*
>
> *"4. In view of the above, this Court is of the view that, it would be suffice to close this Writ Petition granting liberty to the petitioner to challenge the further proceedings, if any, initiated against the petitioner, pursuant to the notice challenged in this writ petition."*

**ANALYSIS:**

14. It is pertinent to observe that while the above-mentioned writ petition was pending before the Hon'ble Madras High Court, the Commission announced General Elections to the Puducherry Legislative Assembly *vide* Press Note No. ECI/PN/ 16/2021 dated 26.02.2021 with the date of poll being 06.04.2021. The results for the aforesaid elections were announced on 02.05.2021 and the previous Legislative Assembly, of which the Respondent MLAs were members, was dissolved by the Hon'ble Lt. Governor of Puducherry *vide* Gazette Notification No. XIV LAS/Dissolution/2021 dated 03.05.2021.

**CONCLUSION:**

15. In view of the above, the reference dated 04.09.2017 is hereby returned to the Hon'ble President of India with the Commission's opinion, under Section 14(4) of the Government of Union Territories Act, 1963, to the effect that the same has become infructuous.

| **RAJIV KUMAR** | **SUSHIL CHANDRA** | **ANUP CHANDRA PANDEY** |
|---|---|---|
| **(ELECTION COMMISSIONER)** | **(CHIEF ELECTION COMMISSIONER)** | **(ELECTION COMMISSIONER)** |

PLACE: **New Delhi**

DATE: 02.02.2022.

[F. No. H-11026/01/2022-Leg.II]

DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. & Legislative Counsel

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2022.02.22 23:21:46 +05'30'